19/16 उदी देवी बनाम रामनारायण वगैरा

01.3.17 वकील अपीलान्ट व उत्तरदाता क्र० 1 से 3 के वकील उपस्थित शेष उत्तरदाता अनु०। अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण पर पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं। और तहसीलदार सिणधरी को बाद जांच नये सिरे से नामान्तकरण पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और बाद शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

01.3.17
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी – श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस.

राजस्व अपील स.19/2016

अपीलाण्ट	बनाम	उतरदातागण
उदीदेवी पत्नि सोनाराम पुत्री स्व. श्री देवाराम जाति जाट निवासी भुंका भगतसिह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. राणाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी भुंका भगतसिह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. नोजीदेवी पत्नि जालाराम पुत्री स्व. श्री देवाराम निवासी खोखा तहसील बागोडा जिला जालोर 3. वीरादेवी पत्नि शेराराम पुत्री स्व.श्री देवाराम जाति चौधरी निवासी खारी तहसील सायला जिला जालोर 4. ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह जरिये सरपंच ग्राम भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं.65 जो ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह द्वारा दिनांक शून्य को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री सुरेश गौड़,अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

2.श्री गंगाराम चौधरी,अधिवक्ता उतरदाता स.1 से 3 की ओर से उपस्थित।

3.उतरदाता स.4 बावजुद सुचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 01·3·2017

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

1.संक्षेपं मे यह अपील ग्राम–धाचीड़ा पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी के नामान्तकरण स.65 पर पारित ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह के आदेश दिनांक शून्य सें असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के साथ उन्होनें अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब सें होना अपील के प्रस्तुतीकरण में हुयें विलम्ब की वजह बतातें हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2.सक्षेपं में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि अपीलाण्ट व उतरदाता स.2 व 3 एवं उतरदाता स.1 भाई व बहिन है,जो मुतवफी देवाराम के वारिसान है। मुतवफी देवाराम पुत्र पूराराम की पैतृक एवं पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम धाचीड़ा पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी की खेत मूल खसरा स.368,372,373,383 कुल रकबा 301–16 बीधा भूमि आई हुई थी। जिस पर अपीलाण्ट के पिता देवाराम का अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा था,अपीलाण्ट के पिता का देहांत होने पर उसके वारिसान के तौर पर अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.1 से 3 का नाम विवादित भूमि मे दायर किये जाने के बजाय केवलमात्र उतरदाता स.1 का नाम ही दायर किया गया। और अपीलाण्ट एवं उतरदाता स. 2 व 3 को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया। जबकि अपीलाण्ट एवं उतरदाता स. 2 व 3 का,उतरदाता स. 1 के साथ विवादित भूमि मे अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन अपीलाण्ट एवं उतरदाता स. 2 व 3 का राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज नही है,जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम सुचि के वारिस मे अपीलाण्ट भी उतरदाता स. 2 से 3 के साथ नाम दायर करवाने की हकदार थी। जो नाम दायर नही किया गया। अतः अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाते हुए उतरदाता स.1 के साथ अपीलाण्ट व उतरदाता स. 2 व 3 अपना नाम भी दर्ज करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

3.म्याद के बिन्दु के सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उतरदाता स. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गगांराम चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। लेकिन पर्याप्तः अवसर दिये जाने के उपरांत भी लिखित प्रकथ्थन पेश नही किया गया,जो लिखित प्रकथ्थन अवसर बन्द किया गया। और उतरदाता स.4 बावजुद नोटिस तामील के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

खण्ड अधिकारी, सिण

Scanned by CamScanner

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये तर्क दिये,कि अपीलाण्ट व उतरदाता स.2 व 3 एवं उतरदाता स.1 भाई व बहिन है,जो मुतवफी देवाराम के वारिसान है। मुतवफी देवाराम पुत्र पूराराम की पैतृक एवं पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम धाचीड़ा पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी की खेत मूल खसरा स.368,372,373,383 कुल रकबा 301–16 बीधा भूमि आई हुई थी।जो बाद मे जरिये कोर्ट फैसल के अनुसार मुतवफी देवाराम के पुत्र उतरदाता स.1 राणाराम की खातेदारी मे खसरा स.383/3 रकबा 30–03 वर्तमान खसरा सख्या 580/383 रकबा 30–03 बीधा भूमि आई,कि अपीलाण्ट के पिता देवाराम का अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा था,अपीलाण्ट के पिता का देहांत होने पर उसके वारिसान के तौर पर अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.1 से 3 का नाम विवादित भूमि मे दायर किये जाने के बजाय केवल मात्र उतरदाता स.1 का नाम ही दायर किया गया। और अपीलाण्ट एवं उतरदाता स. 2 व 3 को उसके हक कूको से महरूम रखा गया। जबकि अपीलाण्ट एवं उतरदाता स. 2 व 3 का,उतरदाता स.1 के साथ विवादित भूमि मे अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन अपीलाण्ट एवं उतरदाता स. 2 व 3 का राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज नही किया गया। जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम सुचि के वारिस मे अपीलाण्ट भी उतरदाता स.2 से 3 के साथ नाम दायर करवाने की हकदार थी। जो नाम दायर नही किया गया। लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) मे नाम दर्ज नही होने के कारण अपीलाण्ट को अपूरणीय क्षति हो रही है। एवं विवादित भूमि का नामान्तकरण पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस या सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया और न नही ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण पारित करने से पूर्व कोई विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्ध नामान्तकरण पारित किया गया है। और विधि विरूद्ध नामान्तकरण के विरूद्ध जानकारी होने की तारीख मे अपील लाई जा सकती है। जो जानकारी होने के भीतर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील पेश की गई है। एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम सुचि के वारिस मे अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 व 3,उतरदाता स.1 के साथ नाम दायर करवाने की हकदार है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 65 प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है। कि कानूनन जब कोई नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हो

उपखण्ड अधिकारी, सिण

Scanned by CamScanner

उसके विरूद्ध अपील कभी भी लाई जा सकती है। जिसके लिये म्याद का बिन्दू आड़े नही आता है ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 65 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील को अन्दर म्याद सुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए उतरदाता स.1 के साथ अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 व 3 का भी नाम दायर करने के आदेश दिये जावे।

5.इसके विपरीत वकील उतरदाता स.1 से 3 की बहस थी,कि अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर पेश किये जाने के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जावे।

6.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं विवादित नामान्तकरण स.65 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया, तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे तथ्यो पर विवेचन किया और जिसमे पाया कि मुतवफी देवाराम पुत्र पूराराम की पैतृक एवं पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम धाचीड़ा पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी की मूल खसरा स.368,372,373,383 कुल रकबा 301–16 बीधा भूमि आई हुई थी। मुतवफी देवाराम के फोत होने पर उसके वारिसान के रूप मे उतरदाता स.1 (राणाराम) का नाम खातेदारी के रूप मे नामान्तकरण स.65 के द्वारा दायर किया गया। जबकि देवाराम के वारिसान मे अपीलाण्ट व उतरदाता स.2 व 3 भी उतरदाता स.1 के साथ नाम दायर करवाने की हकदार थी। जो पत्रावली मे अंकित वृक्षावंशी से स्पष्ट है,लेकिन ऐसा नही कर अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 व 3 को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए उतरदाता स.1 के नाम विवादित नामान्तकरण पारित किया गया। इस प्रकार अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 व 3 को उसके हको से महरूम रखा गया है,जो विवादित भूमि मे अपना नाम दायर करवाने की हकदार थी। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 65 प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है,कि कानूनन जब कोई नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हो तब उसके

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

वृद्ध अपील कभी भी लाई जा सकती है,जिसके लिये म्याद का बिन्दू आड़े नही आता है,यह भी प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह ने अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को कोई नोटिस दिया और न ही किसी प्रकार की सूचना दी और न ही सूनवाई का कोई अवसर ही दिया,ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 65 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। जहां नामान्तरकरण बिना विधिक वारिसान की जांच किये तथा बिना विधिक वारिसान को नोटिस दिये भरा जाता हैं वहां म्याद का बिन्दू आडे नही आता हैं,ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद सुमार किया जाना न्यायोचित है,एवं विवादित भूमि के वर्तमान खातेदार उतरदाता स.1 (राणाराम) के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के अपील पत्र के सबंध मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया गया और न ही अपीलाण्ट व उतरदाता स.2 व 3 जो उतरदाता स.2 की बहिने है,के सबंध मे कोई खण्डन किया गया है,इससे प्रमाणित है,कि अपीलाण्ट व उतरदाता स.2 व 3,उतरदाता स.1 की बहिने है,जो मुतवफी देवाराम की पुत्रीया है,एवं अदालत को यह भी प्रतीत होता है,कि अपीलाण्ट की अपील पत्र को स्वीकार किये जाने मे उतरदाता स.1 की मौन स्वीकृति है,यदि अपीलान्ट की अपील सबंधी उतरदाता स.1 को कोई आपर्ति होती तो उन द्वारा इस सबंध मे अपनी ओर से लिखित प्रकथ्थन पेश किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ उतरदाता स.1 की ओर से नही किया गया है,ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को उसके अधिकारो से महरूम रखते हुऐ भरे गये नामान्तरकरण को विधिक नही ठहराया जा सकता। इसके उपरात भी पत्रावली के सलंग्न ऐसा ठोस साक्ष्य सबुत–यथा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है,जिससे साबित होता है,कि अपीलाट व उतरदाता स.1 से 3 के अलावा भी कोई वारिस है या नही। ऐसी स्थिति मे अदालत यह उचित समझती है,कि मुतवफी देवाराम के समस्त वारिसान की विधिक जांच करते हुए अपीलाण्ट व उतरदाता स.2 व 3

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

नाम नामान्तकरण की कार्यवाही नये सिरे से विधिनुसार पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.लिहाजा अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद सुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह के नामान्तकरण स.65 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत भुंका वगतसिह के आदेश दिनांक शून्य को निरस्त कर, प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि मृतक देवाराम के समस्त वारिसान की विधि सम्मत, जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार उनके हक मे पारित करे।

01/3/12
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 01/3/12 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

01/3/12
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner